वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-45

जोधपुर
[redacted] विद्युत वितरण [redacted]
निगम लि०

क्रमांकः जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे. 374 दिनांक 12-06-2001

आदेश

विषयः-घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना ।

- - - - -

1- घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं में निगम की विद्युत बिलों की काफी मूल राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज(डी०पी०एस०) भी बढ़ता जा रहा है । निगम ने इस बारे में विचार कर ऐसी राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये यह निर्णय लिया है कि निगम की 31.03.2001 तक मूल बकाया राशि यदि उपभोक्ता एक मुश्त 15 जुलाई, 2001 तक जमा करवा देंगे तो उनको डी०पी०एस०/ब्याज की राशि माफ कर दी जावे ।

2- यदि उपभोक्ता उपरोक्त बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने में असमर्थ हो तो ऐसे उपभोक्ता को किश्त में जमा करवाने का विकल्प भी दिया जायेगा । किन्तु किश्तों में जमा करवाने पर उनको डी०पी०एस०/ब्याज में 75 प्रतिशत छूट ही देय होगी । उपभोक्ता को उपरोक्त प्रकार से आंकी गई राशि 50 प्रतिशत, 15 जुलाई, 2001 तक जमा करवानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि को उसे अधिकतम तीन द्विमासिक किश्तों के द्वारा जमा करानी होगी ।

3- डी०पी०एस० की राशि सम्बन्धित लेखों से निकालने में अत्यधिक समय लगने की सम्भावना को देखते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि :-

(i) कटे हुए कनेक्शन से ब्याज माफी के अतिरिक्त जब से बकाया चल रहा है (अगस्त,97 के बाद, क्योंकि पूर्व में डी०पी०एस० नहीं लगता था) से कनेक्शन कटने के महिने तक, जितने माह का समय होता है उतनी प्रतिशत (1 प्रतिशत प्रतिमाह) की बकाया बिल में अतिरिक्त छूट देकर बकाया राशि ली जायेगी । उपरोक्त ब्याज एवं डी०पी०एस० में छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर ही देय होगी । किश्तों में जमा कराने पर ब्याज मे पूरी छूट के स्थान पर 75 प्रतिशत छूट तथा डी०पी०एस० के लिये 1 प्रतिशत प्रतिमाह के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह ही देय होगी ।

(ii) जिन उपभोक्ताओं की ओर राशि बकाया है, परन्तु विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित नहीं है, से अन्तिम बकाया बिल (31.03.2001) में जुलाई, 97 के बाद जितने माहों से बकाया चली आ रही है, उससे 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से छूट भुगतान माह तक देते हुये बकाया राशि वसूली की जावे । उपरोक्त छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर देय होगी, किश्तों में जमा कराने पर डी०पी०एस० के लिये उक्त छूट 1 प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह ही देय होगी ।

यह रियायत योजना 15.06.2001 से लागू होकर 15 जुलाई, 2001 तक वैद्य रहेगी ।

नोटः-

1) उपरोक्त प्रकार से छूट की गणना करने को स्पष्ट करने के लिये उदाहरणार्थ काल्पनिक प्रकरण में 1000/- रूपये बकाया राशि मानकर संलग्न सारणी में पूर्ण विवरण दिया जा रहा है । जिससे कि गणना करने में त्रुटि/संशय ना रहे ।

2) इस रियायत योजना के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क/ब्याज की छूट देने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सक्षम होगें ।

3) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया से सम्बन्ध में कोई कोर्ट केस विचाराधीन हो तो उसे वापस लेना होगा ।

4) यदि उपभोक्ता योजना के अनुसार समय पर राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा ।

5) इस योजना के अन्दर कटे हुये कनेक्शनों को पुनः चालू करवाना आवश्यक नहीं है । पुनः चालू करवाने के लिये सामान्य नियम लागू होंगे ।

6) यह योजना उन पर लागू नहीं होगी जिन्होनें सन् 2000 की रियायती योजना में लाभ ले लिया था ।

7) यह योजना चोरी या अनियमितता (Malpractice) की राशि के लिए लागू नहीं होगी ।

8) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भर कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

1- सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर
2- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(परि०एवं संधा०-जोधपुर जोन/बीकानेर जोन),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
3- मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4- उप मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5- अधीक्षण अभियन्ता(शहर/जिला/पवस/पी०पी०एण्ड एम०/पदार्थ प्रबन्ध/एम०एण्डपी०/बी०एफ०एल०) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/चुरु/जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिशाषी/सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारी को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
6- अधीक्षण अभियन्ता(ऊर्जा), रीको, जयपुर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि०एवं संधा०/एम०एम०/अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
8- व्यक्तिगत सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9- उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
10- उप निदेशक (पी०एण्ड ए०), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11- अधिशाषी अभियन्ता(विधि), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत
रियायत योजना - 2001

सहायक अभियन्ता( ),
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
....

महोदय,

मैं रियायत योजना 2001 के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहता हूँ । मेरे कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

1- उपभोक्ता का नाम व पता :-

2- उपभोक्ता की श्रेणी :-

3- उपभोक्ता का खाता संख्या :-

4- सम्बन्धित कार्यालय का नाम जहां से बिल जारी होते हैं :-

5- विद्युत सम्बन्ध विच्छेद है अथवा चालू है :-

6- उपभोक्ता एक मुश्त राशि जमा कराना चाहता है अथवा किश्तों में जमा कराना चाहता है । :-

7- प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सन् 2000 में जारी रियायती स्कीम में फायदा नहीं लिया था ।

8- प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पर बकाया राशि विद्युत चोरी (Theft) व अनियमितता (Malpractice) के मद में नहीं है ।

9- मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरा उपरोक्त विद्युत सम्बन्ध के बारे में कोई कोर्ट केस लम्बित नहीं है ।

अथवा

मेरे उपरोक्त विद्युत सम्बन्ध के बारे में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विरूद्ध जो कोर्ट केस लम्बित है, उसे वापिस लेने के लिये सहमत हूं ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

(अ) कटे हुए कनेक्शन के लिये:

क्र.स.	संबंध विच्छेद तिथी (1.4.2001 से पूर्व)	सम्बंध विच्छेद तिथी को बकाया	ब्याज 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष (15.7.2001 तक)	कुल राशि	देरी से भुगतान अधिभार में अधिकतम छूट	स्कीम का विकल्प	छूट की कुल राशि	कुल देय राशि
1.	अगस्त, 1997 से पूर्व	1000/-	720 रू.	1720	-	अ)समस्त राशि एक मुश्त ब) 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त एवं 50 प्रतिशत तीन किश्तों में	720रू. 540रू. (720 का 75 प्रतिशत)	1000 रू. 1180 रू.
2.	जुलाई, 1998	1000/-	540रू	1540 रू.	12प्रति.(12 माह अगस्त,97 से जुलाई,98) 120 रूपये	अ)समस्त राशि एक मुश्त ब) 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त एवं 50प्रति.तीन किश्तों में	660रू. 495 रू. (660 का 75 प्रतिशत)	880रू 1045 रू.

ब. चालू कनेक्शन के लिए:

बकाया राशि कब से	बकाया राशि 31 मार्च,01 को	देरी से भुगतान अधिभार में अधिकतम छूट	स्कीम का विकल्प	वास्तविक छूट की राशि	कुल देय राशि
अगस्त, 1999 से	1000 रू.	24 प्रतिशत(24 माह, अगस्त,99 से जुलाई,01 तक)- 240 रू.	अ) समस्त राशि एक मुश्त ब) 50 प्रतिशत एक मुश्त एवं 50 प्रतिशत तीन किश्तों में	240 रू. 180 रू. (240 रू. का 75 प्रतिशत)	1000-240 =760 रू. 1000-180 =820 रू.